छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 586/2008

1. श्री शैलेन्द्र कुमार देवांगन, – *अपीलार्थी*
बिलाईगढ़, तहसील–बिलाईगढ़,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बिलाईगढ़,
जिला–रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 02 जून, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री शैलेन्द्र कुमार देवांगन द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 12.03.2008 को जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, बिलाईगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर निर्धारित समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा दिनांक 15.04.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर भी कोई जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 23.05.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में अंतिम सुनवाई दिनांक को अपीलार्थी अनुपस्थित रहे और उन्होंने फैक्स से पत्र भेजा था, अतः उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की जाकर प्रति अपीलार्थी को सुना गया। प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के लिए जन सूचना अधिकारी को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर अंतिम सुनवाई दिनांक 26.05.2009 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत उत्तर में यह बताया गया कि विलंब के लिए पूर्व अनुविभागीय अधिकारी श्री रामगोपाल जांगडे जिम्मेदार है, जो वर्तमान में एक अन्य प्रकरण में जेल में है और वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी श्री एस0एस0 बघेल ने दिनांक 17.03.2009 को ही कार्यभार ग्रहण किया है तथा पूर्व में अधिकारी बदलने और अन्य शासकीय कार्य में व्यस्तता के कारण कार्यवाही में विलंब होना बताया गया, जिसके लिए कार्यालय की ओर से खेद भी व्यक्त किया गया है। अंतिम सुनवाई दिनांक को प्रति अपीलार्थी जानकारी भी साथ में लाये थे, किन्तु अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण जानकारी नहीं दी जा सकी, अतः उन्हें निर्देश दिये गये कि अब वे जानकारी स्वयं अपीलार्थी को निःशुल्क उपलब्ध करावे। प्रकरण में पूर्व में आंशिक जानकारी दी गई थी और कुछ जानकारी अपठनीय थी, जो पठनीय देने के निर्देश दिये गये तथा कुछ जानकारी जिसमें, प्रकरण में की गई जॉच का जॉच प्रतिवेदन, सीमेंट मिट्टी की मात्रा, लेब परीक्षण, आदि नहीं दी गई और उसे देने के निर्देश दिये गये। प्रकरण में चूंकि वर्तमान अनुविभागीय अधिकारी विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं है, अतः उन्हें जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है, किन्तु प्रकरण में विकास आयुक्त, छत्तीसगढ़ को अधिनियिम की धारा–20(2) के अन्तर्गत यह अनुशंसा की जाती हैं कि तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, श्री रामगोपाल जांगडे, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बिलाईगढ़ जो अधिकांश समय विलंब के लिए जिम्मेदार है, उनके विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। साथ ही जन सूचना अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अभी–भी जानकारी

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

अपीलार्थी को नहीं दी गई हो तो एक सप्ताह में शेष जानकारी आयोग के निर्देशानुसार निःशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 500/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार किया जाता है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com